[भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त-मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)
अधिसूचना सं०50 /2018-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नार्थ ब्लाक, नयी दिल्ली,
8 जून, 2018

सा.का.नि. (अ) – सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 122 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड उन वस्तुओं के संबबंध में जिनको उक्त अधिनियम के अध्याय XIV अंतर्गत जब्त किया जा सकता है, तथा नीचे दी गयी सारणी के कालम (3) में निर्दिष्ट मूल्य सीमा की दृष्टि से निम्न सारणी के कालम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को जब्ती या दंड के बारे में न्याय-निर्णयन करने की शक्ति प्रदान करता है:

सारणी

क्रम संख्या.	सीमाशुल्क अधिकारी	उस वस्तु का मूल्य जिसकी जब्ती की जा सकती है
(1)	(2)	(3)
(1)	सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क या उप-आयुक्त, सीमाशुल्क	एक लाख रूपये से अधिक लेकिन अधिकतम दस लाख रूपये.
(2)	सीमाशुल्क का ऐसा कोई राज-पत्रित अधिकारी जो सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क या उप-आयुक्त , सीमाशुल्क से निम्न रैंक का हो	अधिकतम एक लाख रूपये

2. यह अधिसूचना अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फ़ा. सं. 450/117/2009- सीमाशुल्क IV]

ज़ुबैर रियाज़

(ज़ुबैर रियाज़)
निदेशक (सीमाशुल्क)